पत्रांक–3ए–8–बैठक–07/2018–................................/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

रचना पाटिल,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : ....

विषय :– **विभिन्न स्तर के लोक–सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2875, दिनांक–23.03.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888, दि०–03.12.2024 में सरकारी वाहन क्रय हेतु प्रावधान विहित है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2875, दि०–23.03.2026 द्वारा विभिन्न स्तर के लोक–सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की निर्धारित अधिसीमा को निम्नवत् संशोधित किया गया है:–

क्र० सं०	पदधारक	पूर्व निर्धारित अधिसीमा	संशोधित अधिसीमा
1.	माननीय मंत्री/उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं समकक्ष के लिए	30 लाख	**37 लाख**
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष के लिए	25 लाख	**30 लाख**
3.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए	20 लाख	**22 लाख**
4.	पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए	16 लाख	**18 लाख**
5.	अन्य पदाधिकारी (जिन्हें वाहन अनुमान्य है) के लिए	14 लाख	**16 लाख**
संशोधित अधिसीमा में वाहन की ऑन–रोड कीमत एवं साज–सज्जा होने वाले अन्य व्यय भी शामिल है।			

2. उपर्युक्त वर्द्धित दर का निर्धारण समकोटि के इलेक्ट्रीक/हाईब्रीड वाहनों के बाजार मूल्य को दृष्टिगत् रखते हुए किया गया है।

3. राज्य सरकार पेट्रोलियम ईंधन की खपत कम करने एवं पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दृढसंकल्पित है। अतएव, सरकारी वाहन क्रय करते समय डीजल/पेट्रोल वाहन के स्थान पर इलेक्ट्रीक वाहन एवं हाईब्रीड वाहन को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है।

4. अतः अनुरोध है कि पुराने वाहन के निष्प्रयोजन के उपरान्त अथवा अतिरिक्त नया वाहन क्रय करना आवश्यक हो, तो सरकारी वाहन क्रय हेतु निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत (विशेषकर रु० 30 लाख एवं रु० 37 लाख की निर्धारित अधिसीमा में अनिवार्य रूप से) इलेक्ट्रीक वाहन/हाईब्रीड वाहन क्रय करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

PPS Meeting\Vahan Rate Revised-23.07.2026

(Anil)

ज्ञापांक : 3ए–8–बैठक–07/2018–............../वि० पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०) का कार्यालय, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 3ए–8–बैठक–07/2018–............../वि० पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी पुलिस अधीक्षक / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 3ए–8–बैठक–07/2018–7164/वि० पटना, दिनांक : 31-07-2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट शाखा/**सिस्टम एनालिस्ट,** वित्त विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

31-7-26
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

31/07/26